

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-II), गुजरात, अहमदाबाद- 380009

परिपत्र संख्या प्रशासन(लेप)/द्विभा/ 32 दिनांक: 01.02.2022

Circular No. Admn(Au)/BL/ 32 dated: 01.02.2022

विषय: शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश आदि में लेनदेन के लिए सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(4) के तहत वार्षिक चल संपत्ति रिटर्न।

Sub: Annual movable property return under Rule 18(4) of CCS (Conduct) Rules, 1964 for transactions in shares, securities, debentures, investment in mutual fund schemes, etc.

डीओपीटी के दिनांक 07.02.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11018/6/2018-स्था.ए-III (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसरण में, इस कार्यालय के सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि, यदि एक कैलेंडर वर्ष के दौरान शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड स्कीम आदि में उनका कुल लेनदेन, अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक है, तो वे सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 16(1) के अनुसार तथा निर्धारित प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) में सूचना प्रशासन अनुभाग में 15.02.2022 तक प्रस्तुत करें।

In pursuance of DOPT's OM No. 11018/6/2018-Estt.A-III dated 07.02.2019 **(copy enclosed)**, all officials of this office are hereby instructed that, if during a calendar year their total transactions in shares, securities, debentures, mutual funds scheme etc. exceed their six months' basic pay, they may submit an intimation in the prescribed proforma (copy enclosed) and in terms of Rule 16(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964. The proforma may be submitted stating the details to Administration Section by 15.02.2022.

2. इसके अलावा, डीओपीटी के दिनांक 07.02.2019 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, चूंकि शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचर आदि को सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 18(3) के प्रयोजन के लिए चल संपत्ति के रूप में माना जाता है, यदि कोई व्यक्तिगत नियम 18(3) में निर्धारित राशि अर्थात् अपने दो माह के मूल वेतन, से अधिक का लेनदेन करता है तो उसे, उपरोक्त निर्धारित वार्षिक सूचना के अतिरिक्त भी इस संबंध में सूचना देनी आवश्यक होगी।

Further, in terms of the DOPT's OM dated 07.02.2019, since shares, securities, debentures, etc. are treated as movable property for the purpose of Rule 18(3) of the CCS (Conduct) Rules, 1964 if an individual transaction exceeds the amount prescribed in Rule 18(3) of ibidi.e.two months basic pay of the Government servant, the intimation in that regard will still be necessary in addition of the annual intimation prescribed above.

संलग्नतः यथोपरि

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

संख्या प्रशासन(लेप)/चल संपत्ति/2022/

प्रति:

1. All Group Officers
2. Welfare Officer
3. All Sections (**Round cube**) with request to intimate field party members accordingly
4. All notice boards
5. Hindi section for Hindi translation of this circular.
6. ITMG Section for uploading this Circular on office website.
7. Departmental Notebook
8. O.O. file

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन